चीनी मिलों की ओर बकाया धनराशि

1405. **श्री सोमपाल :**
श्री चिमनभाई मेहता :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने की पेराई के चालू मौसम के आरम्भ में चीनी मिलों की ओर किसानों की राज्य-वार, कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) किसानों को बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी मिलों द्वारा भेजी गई उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-10-1992 को अर्थात् 1992-93 के चालू मौसम के प्रारंभ में गन्ना कीमत के बकाया की राज्य-वार स्थिति विवरण में दी गई है । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) देय गन्ना कीमत का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान को बाध्य करने के लिये आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्रीय संगठन है । केन्द्र सरकार ऐसे देय का भुगतान कराने के लिये अपनी तरफ से राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यक कदम उठाने की सलाह देती रही है । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने की दृष्टि से चालू मौसम के लिये चीनी नीति की अभी हाल ही में घोषणा की है । राज्य सरकारों को, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुरूप अधिक तर्कसंगत मूल्य नीति, जिसमें भार्गव फार्मूले के अनुसार चीनी मिलों को होने वाले लाभ में चीनी मिलों तथा उत्पादकों के बीच समान भागीदारी का प्रावधान है, अपनाने की सलाह भी दी गई है ।

चीनी मिलों द्वारा भेजी गई उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991-92 तथा पिछले मौसमों से संबंधित गन्ना कीमत का उक्त बकाया 31 जनवरी, 1993 को घटकर केवल 31.94 करोड़ रुपये रह गया है ।

विवरण

30-1-1992 को (9991-92 तथा पिछले मौसमों की) गन्ना कीमत के बकाया की राज्यवार स्थिति

(रुपये करोड़ में)

राज्य	30-9-1992 को गन्ना कीमत का बकाया (1991-92 तथा पिछले मौसमों का)
पंजाब	19.20
हरियाणा	4.50
राजस्थान	1.49
उत्तर प्रदेश	233.74
मध्य प्रदेश	3.60
गुजरात	5.95
महाराष्ट्र	12.02
बिहार	50.07
आसाम	0.01
उड़ीसा	0.09
पश्चिमी बंगाल	0.01
तमिलनाडु	9.41
कर्नाटक	9.76
आंध्र प्रदेश	4.59
नागालैंड	0.95
पांडिचेरी	0.17
गोआ	0.83
कुल	356.39